पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक– 02.11.2023

दिनांक 01/02.11.2023 को रात्रि थाना बिजनौर 01, मोहनलालगंज 01, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना हजरतगंज–दिनांक 02.11.2023 एस0आई0 श्री आलोक कुमार सिंह थाना हजरतगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–श्याम तिवारी पुत्र स्व0 बिहारी लाल तिवारी निवासी–संजय गाँधी नगर बालू अड्डा प्राग नारायण रोड हजरतगंज 02–अनिल थापा पुत्र श्री दिल बहादुर सिंह निवासी–संजय गाँधी नगर बालू अड्डा प्राम नारायण रोड हजरतगंज लखनऊ 03–आसिफ अली पुत्र स्व0 शाहिद अली निवासी–283/10 डाकखाना मार्ग मानकनगर थाना आलमबाग लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान गोमती नदी के किनारे बैराज स्थित सिंचाई विभाग की ऑफिस थाना हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड में 8,200/–रूपये व जामातलाशी में 1,146/–रूपये नगद एवं 03 अदद मोबाइल फोन बरामद कर थाना हजरतगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना हसनगंज–दिनांक 02.11.2023 को थाना हसनगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव उर्फ ऋतु वर्मा पत्नी स्व0 सुमित वर्मा निवासी–डी–6 निरालानगर, थाना हसनगंज, लखनऊ ने थाना हसनगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 29.10.2023 को समय करीब 10.40 बजे रात्रि को वादिनी के पति सुमित वर्मा पुत्र स्व0 जगदीश चन्द्र वर्मा अपने मित्र बृजेन्द्र उर्फ बन्टू के घर से मैच देखकर लौट रहे थे कि सड़क पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि रामकृष्ण मठ निरालानगर ट्रांसफर के पास चार पहिया वाहन (इनोवा) सं0–यूपी 32 एलएन 5079 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादिनी के पति को जोरदार टक्कर मार दिया,जिससे वादिनी के पति सुमित वर्मा उपरोक्त सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर पर गंभीर चोटें आयीं व बेहोश हो गये। इनोवा वाहन चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। घटना स्थल पर वादिनी के पड़ोसी विवेक बाजपेई जो उधर से गुजर रहे थे घायल व बेहोशी के हालत में वादिनी के पति को देखा तो तुरन्त डायल 112 को को अपने मोबाइल नं0 से सूचना दिया। मौके पर आयी पुलिस द्वारा वादिनी के पति को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गये तथा वादिनी के पति की जेब मे रखे मोबाइल से वादिनी को सूचित किया। इस सूचना पर वादिनी अपनी 06 वर्षीय बेटी को लेकर अपने पड़ोसी के साथ पुलिस की 112 गाड़ी से मेडिकल कालेज ट्रामा सेंटर पहुंचे तो देखा कि वादिनी के पति के सिर पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि वादिनी के पति की हालत नाजुक है। दिनांक 30.10.2023 को दौराने इलाज समय करीब 12.00 बजे से 12.30 बजे दिन में वादिनी के पति सुमित वर्मा उम्र करीब 45 वर्ष की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0–155/2023 धारा 279/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना हजरतगंज–दिनांक 02.11.2023 को थाना हजरतगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री मोहम्मद मुस्तफा पुत्र स्व0 अब्दुल बहाब निवासी–64, फूलबाग, हुसैनगंज लखनऊ ने थाना हजरतगंज पर सूचना दिया कि वादी की सचिवालय गेट नं0–10 के सामने स्थित बड़ी शाही मस्जिद में दुकान नं0–02 (कमाल कापियर्स) में चाय व कम्प्यूटर एवं फोटोकापी की दुकान है। दिनांक 30.10.2023 को रात्रि में दुकान बन्द होने के बाद समय करीब 04.00 बजे से 04.30 बजे की बीच प्रातः को 02 अज्ञात चोर जिनकी शक्ल सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, शिनाख्त नही हो पा रही है, उनके द्वारा वादी की दुकान का ताला काटकर दुकान मे रखे 02 अदद गैस सिलेण्डर, मोबाइल व कम्प्यूटर आदि से संबंधित डिवाइसें व 12000/–रूपये नगदी को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर मु0अ0सं0–318/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना बिजनौर–दिनांक 02.11.2023 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री पदम बहादुर थापा पुत्र थान बहादुर थापा मूल निवासी–ग्राम व पोस्ट हस्तीचौर थाना हस्तीचौर जनपद गुलमी, राज्य नेपाल जो कि 91 बीएन सीआरपीएफ बिजनौर में तैनात है जो कि जीसी सीआरपीएफ कैम्प बिजनौर में स्थित है। वादी को ने अपना आईसीआई क्रेडिट कार्ड को दिनांक 21.10.2023 को सक्रिय किया तो उसके उपरान्त वादी के मोबाइल नं0 पर एक अज्ञात व्यक्ति को फोन आया और उसके द्वारा बताया गया कि वादी के कार्ड से 600/–रूपये कटेगा और उसको बन्द करवाने के लिए वह वादी को एक लिंक भेज रहा है उसको सक्रिय करने को कहा। वादी ने जैसे ही लिंक को सक्रिय किया वादी के अकाउंट से 40,472/–रूपये व 18,718/–रूपये (कुल 59190/–रूपये) की धनराशि की कटौती कर ली गयी। कटौती का मैसेज दिन में करीब 02.36 बजे बजे वादी के मोबाइल नं0 पर आने के बाद वादी को जानकारी हुयी। **इस सूचना पर थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 262/2023 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**